Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Supply Revision No.-63/2025]

Pritam Lal Harijan @ Pritam Harijan.....Revisionist.

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	16.4.2026	**आदेश** यह Supply पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं. -12145/2025 में दिनांक-17.9.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णिया के आपूर्ति अपील वाद सं.-61/2021 में दिनांक-05.4.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-08.4.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि ग्राम हरिपुर, पंचायत- हरिपुर वार्ड नं.-03 एवं 04 प्रखंड-अमौर के ग्रामीणों के आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमौर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमौर को Petitioner के ज.वि.प्र. दुकान का संयुक्त रूप से जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। दिनांक-01.11.2018 को श्री प्रितम हरिजन के PDS दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरान्त कई अनियमितता पायी गयी, जिसके आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी के स्तर से Petitioner से कुल 08 निम्नलिखित बिन्दुओं पर कारण पृच्छा की मांग की गईः- 01. निरीक्षण के समय विक्रेता का अनुपस्थित रहना एवं उनका दुकान बिना सूचना के बंद पाया जाना। 02. विक्रेता द्वारा सम्पूर्ण उपभोक्ता को माह सितम्बर 18 एवं अक्टुबर 18 का खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाना। 03. विक्रेता द्वारा अधिक राशि लेकर कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल आपूर्ति करना। 04. विक्रेता द्वारा सूचना पट्ट एवं मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट प्रदर्शित नहीं किया जाना। 05. दूकान बंद रहने के कारण भंडार का सत्यापन नहीं किया जाना। 06. विक्रेता द्वारा कैश मैमो संधारित नहीं किया जाना। 07. विक्रेता द्वारा माह में मात्र दो दिन दूकान खुला रखना। 08. उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमौर के द्वारा दिनांक-05.11.2018 को पुनः विक्रेता की दुकान जाँच हेतु व्यापार स्थल जाया गया, परन्तु विक्रेता द्वारा आवश्यक कागजात यथा-भंडार पंजी एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में विक्रेता द्वारा उक्त कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाना	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

16.4.2026

कालाबाजारी को दर्शाता है।

पुनरीक्षणकर्त्ता PDS Dealer श्री प्रितम लाल हरिजन के PDS दुकान संचालन में कई प्रमाणित अनियमितता यथा- खाद्यान्न का भंडारण/वितरण में अनियमितता, बिना सूचना के दुकान बंद रखना, निर्धारित राशि से अधिक राशि लेकर कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल का आपूर्ति, सूचना पट्ट एवं मूल्य भंडार प्रदर्शन पट्ट प्रदर्शित नहीं करना, माह में सिर्फ 02 दिन दुकान खोलना, कैश मैमो संधारित नहीं करना, कालाबाजारी संबंधी तथ्य एवं निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाये जाने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बायसी के आदेश ज्ञापांक-3882 दिनांक-07.12.2018 द्वारा श्री प्रितम लाल हरिजन के PDS अनुज्ञप्ति सं. -35/2016 को रद्द किया गया। साथ ही समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष दायर आपूर्ति अपील वाद सं.-61/2021 में Petitioner द्वारा अभिरूचि नहीं लिये जाने के आलोक में वाद को खारिज कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा कागजातों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि Petitioner द्वारा PDS दुकान का अनियमित संचालन किया गया है। Petitioner के स्तर से PDS दुकान संचालन से संबंधित Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order 2016 में निहित प्रावधानों तथा PDS अनुज्ञप्ति शर्तो का उल्लंघन किया गया है। सुनवाई में Petitioner द्वारा बताया गया कि निरीक्षण की तिथि को उनके अपने समधी के तबीयत खराब हो जाने के कारण वे उनका हाल-चाल जानने हेतु पूर्णिया गये थे, जिस कारण वे उक्त तिथि को अपने PDS दुकान पर मौजूद नहीं थे। परन्तु वे अपने इस अभिकथन के संदर्भ में कोई साक्ष्य उपस्थापित नहीं कर सके। सुनवाई में उपस्थापित कागजातों के आधार पर Petitioner के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं। Petitioner की ओर से सुनवाई में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को Negate करने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः तदनुसार इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। Petitioner अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय के भेजें।

16/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
16/4/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया